

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (90) वन/2021

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.99 Ha. Proposed Road Alignment for “Construction of Missing Link Road From Udaipura Road to Toda Bheem Road” . This Road to connect Udepura side locality to Toda Bheem side habitation area (FP/RJ/ROAD/26222/2017)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 () 2017 / एफसीए / प्रमुवस / 2944 दिनांक 21.10.2021 एवं पत्रांक 3872 दिनांक 18.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सिकन्दरा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत उदयपुरा रोड से टोडा भीम रोड तक मिसिंग लिंक रोड के निर्माण लिए वन भूमि प्रस्तावित हेतु, 0.99 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.99 Ha. Proposed Road Alignment for “Construction of Missing Link Road From Udaipura Road to Toda Bheem Road” . की सैद्धान्तिक स्वीकृति सात वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रस्तावित सड़क मार्ग एवं वन सीमा के मध्य के क्षेत्र में उपलब्ध भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर 6 फीट ऊंची पक्की दीवार के द्वारा सुरक्षित किया जावेगा तथा उक्त भूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर सघन वृक्षारोपण कराया जाएगा जिससे वन सीमा सुरक्षित हो सके एवं वनक्षेत्र को संभावित अतिक्रमण से बचाया जा सके।
5. प्रस्तावित सड़क मार्ग के दूसरी तरफ स्थित वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर 6 फीट ऊंची पक्की दीवार के द्वारा सुरक्षित किया जावेगा तथा उक्त भूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर कम से कम तीन पंक्ति में सघन वृक्षारोपण कराया जाएगा।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
Commanpuc/secy. Forest/Ajay--

RajKaj Ref No. : 3031672



9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(वेंकटेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
Commanpuc/secy. Forest/Ajay--

RajKaj Ref No. : 3031672



3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, करौली।
6. उप वन संरक्षक करौली
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सिकन्दरा , दौसा— 303303
8. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, वन

कार्यालय पता:— वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान
जयपुर, दूरभाष संख्या— 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
Commanpuc/secy. Forest/Ajay--

RajKaj Ref No. : 3031672

